उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या-19/2017/1941जे/22-5-2017-300(47)2016

लखनऊ : दिनांक 20 मार्च,2017

वारण्ट

जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी संध्या पत्नी धर्मेन्द्र गिहार को मानसिक रोग से ग्रसित पाया गया है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-510 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उसे जिला कारागार, अलीगढ़ में वापस भेज दिया जाये।

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या-19/2017/1941जे/22-5-2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषितः-

1. **महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-26139/सामा-1(1) मानसिक बंदी/1/2016, दिनांक 10.08.2016 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित।**
2. **अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़ ।**
3. **जिलाधिकारी, अलीगढ़ ।**
4. **पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ ।**
5. **प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।**
6. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।